राजेश बिंदल से पहले जे.

न्यायालय अपने स्वयं के प्रस्ताव पर-याचिकाकर्ता

बनाम

मलूक सिंह - प्रतिवादी

2011 का सीओसीपी नंबर 1705

15 फ़रवरी 2013

(ए) न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 - धारा 2 - मुकदमा आदर्श वाक्य - सुरक्षा मामले में उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक - गिरफ्तारी पर रोक के बावजूद, जांच अधिकारी याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं - नियमित जमानत आदेश पर भी रोक के पहले के आदेश पर ध्यान दिया गया सुरक्षा मामले में गिरफ्तारी का आदेश दिया और गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और उच्च न्यायालय को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया - एसएसपी ने गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को दोषमुक्त करते हुए जांच की - हालांकि, उच्च न्यायालय ने अदालत के आदेश की जानबूझकर अवहेलना करने और स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ करने के लिए गिरफ्तार करने वाले अधिकारी पर अवमानना का आरोप लगाया। एक नागरिक - अज्ञानता की याचिका खारिज कर दी गई - न्याय वितरण प्रणाली प्रभावित और बाधित हुई - आचरण निंदनीय और निंदनीय - माफी मांगी गई खारिज - अवमानना के दोषी अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया।

अवमाननाकर्ता द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को पढ़ने से पता चलता है कि उसने जानबूझकर इस द्वारा पारित आदेश की अवहेलना की थी।
अदालत ; रोक के बावजूद एक नागरिक को गिरफ्तार करते हुए उसकी स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ किया गया

दी गई और फिर विधि अधिकारी की ओर से लापरवाही को जिम्मेदार ठहराते हुए इसे समझाने की कोशिश की गई । इसने प्रतिवादी-अवमाननाकर्ता द्वारा किए गए अपराध को और बढ़ा दिया है। प्रतिवादी अवमाननाकर्ता द्वारा उठाई गई दलील कि उसकी लंबी बेदाग सेवा को ध्यान में रखते हुए उसके प्रति उदारता दिखाई जाए, इस कारण से स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि पहले की सेवा किसी को भी ऐसा करने की अनुमति देने का प्रमाण पत्र नहीं है। उनके करियर के अंतिम पड़ाव पर एक गलती । किसी कर्मचारी की प्रत्येक गतिविधि का व्यक्तिगत रूप से परीक्षण किया जाना चाहिए। हालाँकि, पिछले आचरण के परिणामस्वरूप उसे कड़ी सजा मिल सकती है, लेकिन किए गए अपराध से बरी नहीं होगी। बल्कि, तथ्य यह है कि प्रतिवादी अवमाननाकर्ता के पास 34 साल की सेवा थी और अपने सेवा करियर में, उसने सैकड़ों मामलों को निपटाया होगा और फिर भी इस अदालत द्वारा पारित आदेश का उल्लंघन किया होगा , यह दर्शाता है कि कार्रवाई जानबूझकर की गई थी। उन्हें अज्ञानता का दावा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती, खासकर कानून प्रवर्तन एजेंसी का हिस्सा होने के नाते। की गिरफ्तारी निर्दोष व्यक्ति निश्चित रूप से उसके करियर पर एक धब्बा है । 26.4.2011 को उनकी गिरफ्तारी के बाद 18.5.2011 को इस अदालत द्वारा उन्हें जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिए जाने तक उन्हें जेल में रहना पड़ा ।

(पैरा 9)

इसके अलावा , यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि अवमानना मुख्य रूप से दोनों के बीच का मामला है न्यायालय और अवमाननाकर्ता . न्यायालय को अवमाननाकर्ताओं के व्यवहार , संबंधित परिस्थितियों और न्याय वितरण प्रणाली पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखना होगा । यदि अवमाननाकर्ता का आचरण ऐसा है कि यह न्याय वितरण प्रणाली को बाधित करता है और साथ ही अदालतों की गरिमा को कम करता है , तो अदालतों से अपेक्षा की जाती है कि वे आगे की घटनाओं को रोकने के लिए कुछ हद तक कठोर दृष्टिकोण अपनाएं । संवैधानिक क्षति में और न्याय वितरण प्रणाली में जनता के विश्वास की रक्षा करना । जहां आचरण निंदनीय है निंदा की गारंटी देता है , तो अदालत को अनिवार्य रूप से ऐसी अवमानना कार्यवाही को उनके तार्किक तरीके से लेना चाहिए अंत। ' न्यायालय द्वारा दया नहीं दिखाई जा सकती न्याय प्रणाली संस्थान को चोट की कीमत पर ।

(पैरा 10)

वर्तमान मामले में , प्रतिवादी-आवेदक आर, में है उनके उत्तर एफी डेविट ने इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर विवाद नहीं किया है उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । उन्होंने केवल बिना शर्त माफी मांगने का प्रयास किया है उसकी हरकतें और चूक जो निश्चित रूप से न्याय प्रशासन के लिए प्रतिकूल थीं और प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई हैं पारस के अधिकार शर्म ए. वर्तमान मामले और प्रतिवादी-विवादास्पद व्यक्ति के आचरण के तथ्यात्मक मैट्रिक्स की जांच , विशेष रूप से उसके द्वारा दायर उत्तर , यह अस्पष्टता से परे रखता है कि प्रतिवादी -आयोजक के खिलाफ लगाए गए आरोप अर्थात् पारस एस हरमा की गिरफ्तारी उसे दिए गए अंतरिम संरक्षण का उल्लंघन साबित हुआ है । अवमानना का स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप से स्वीकार्य नहीं है । ' मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में जिस एकमात्र निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है, वह है अवमाननाकर्ता ने जानबूझकर ऐसा किया था द्वारा पारित आदेश का उल्लंघन किया गया अदालत, इसलिए, वह दोषी है इस न्यायालय की अवमानना का .

(पैरा 11)

कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन बनाम मलूक सिंह

399 (राजेश बिंदल , जे.)

(बी) न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 - धारा 2 - शब्द और वाक्यांश - "इस बीच" - इसका मतलब किसी विशेष घटना के घटित होने तक - इस बीच अंतरिम राहत तब तक लागू रहेगी जब तक कि अदालत द्वारा आवेदन पर सुनवाई नहीं हो जाती या विशेष रूप से रोक नहीं लगा दी जाती - अंतरिम आदेशों को केवल तभी विस्तार की आवश्यकता होती है जब अंतरिम आदेश एक निश्चित अवधि के लिए पारित किया जाता है, यानी सुनवाई की अगली तारीख तक।

माना गया कि इस न्यायालय की राय में, यदि न्यायालय इस बीच अंतरिम आदेश देते हैं, तो यह तब तक लागू रहेगा जब तक कि इसे खाली नहीं किया जाता या संशोधित नहीं किया जाता। 4.3.2011 को इस न्यायालय ने अगली तारीख तक अंतरिम सुरक्षा नहीं दी है होने पर, इस न्यायालय ने फिर से यह नहीं देखा कि अंतरिम आदेश सुनवाई की अगली तारीख तक बढ़ाया गया है। ' उनका एकमात्र ऑपरेटिव भाग "जारी रखने का अंतरिम आदेश" है। 18.4.2011 को, इस न्यायालय ने दिनांक 4.3.2011 के आदेश को कभी रद्द नहीं किया था। चूँकि आदेश पहले से ही अस्तित्व में था, इसलिए इस न्यायालय को प्रत्येक निर्धारित तिथि पर आदेश को बार-बार बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अंतरिम आदेश को केवल तभी विस्तार की आवश्यकता होती है जब अंतरिम निश्चित अवधि के लिए पारित हो जाता है, यानी अगली तारीख तक लिस्टिंग का. मुझे गोविंदा के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले से समर्थन मिलता है भागोजी कामेबल एवं अन्य बनाम साडू बापू कामेबल और अन्य, 2005(1) एमएलजे 651 में रिपोर्ट किए गए। (पैरा 2)

एपीएस मान , अतिरिक्त । महाधिवक्ता, पंजाब।

प्रतिवादी की ओर से वकील एसपीएस सिद्धू ।

राजेश बिंदल, जे.

(1) यह एक ऐसा मामला है जिसमें इस अदालत ने प्रतिवादी द्वारा

इस अदालत द्वारा दिए गए अंतरिम रोक के उल्लंघन के लिए स्वत: संज्ञान लिया था, जिसके तहत पारस शर्मा, जिनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई थी, को हिरासत में ले लिया गया था।

स्वत: संज्ञान नोटिस जारी करने के कारण मामले के तथ्य , जैसा कि 2011 के सीआरएम संख्या एम-15240 में पारित दिनांक 18.7.2011 के आदेश में विस्तार से देखा गया है, नीचे दिए गए हैं :

> "वर्तमान मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि धारा 363/356 आईपीसी के तहत अपराध के लिए एफआईआर संख्या 25 दिनांक 28.2.2011 को पुलिस स्टेशन कैंट में दर्ज किया गया था । फ़िरोज़पुर , जिला फ़िरोज़पुर पर कथन जियान के पुत्र सुखदेव राज चांद ने बताया कि लगभग 16/17 वर्ष की समिता बाजार नंबर 1, फिरोजपुर में ट्यूशन के लिए गई थी कैंट . 28.2.2011 को सुबह लगभग 6/6.30 बजे लेकिन वह ट्यूशन के बाद घर वापस नहीं लौटी; सुखदेव राज को विश्वास है कि पारस पुत्र अज्ञात ने बहला-फुसलाकर शादी का झांसा दिया। उसे ले गया है .

समिता और पारस शन्ना ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक याचिका दायर की है । आपराधिक विविध होना. 2011 का नंबर एम-6835, " समिता शर्मा और अन्य बनाम। पंजाब राज्य'' ने अपने जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए इस न्यायालय में याचिका दायर की है क्योंकि उन्होंने अपने माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध विवाह किया है । इस न्यायालय ने 4.3.2011 को निम्नलिखित आदेश पारित किया है:

> "यह सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक याचिका है । नवविवाहित याचिकाकर्ताओं के जीवन और स्वतंत्रता को उत्तरदाताओं संख्या 3 से 5 के हाथों से बचाने के लिए क्योंकि उन्होंने उनकी इच्छा के विरुद्ध विवाह किया है ।
>
> प्रस्ताव की सूचना.
>
> इस स्तर पर, श्री एमएस सिद्धू , वकील उपस्थित होते हैं और उत्तरदाताओं नंबर 3 से 5 की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि याचिकाकर्ता नंबर 1

नाबालिग है। उनकी जन्म तिथि 14.7.1994 है।

याचिकाकर्ता नंबर 1 अपने वकील के साथ कोर्ट में मौजूद है. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील भी मानते हैं कि याचिकाकर्ता नंबर 1 नाबालिग है।

याचिकाकर्ता नंबर 1 अपने माता-पिता के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसे डर है कि वे उसकी शादी किसी और से कर सकते हैं। हालांकि, उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई है. अगर उसे नारी भेज दिया जाए निकेतन .

उत्तरदाताओं संख्या 3 से 5 के विद्वान वकील भी इससे सहमत हैं।

'तथ्यों और संवेदनशील स्थिति को ध्यान में रखते हुए, नारी के अधीक्षक /वार्डन निकेतन को वर्तमान याचिकाकर्ता नंबर 1 को अपनी हिरासत में लेने का निर्देश दिया जाता है । चंडीगढ़ के सेक्टर 3 पुलिस स्टेशन के एसएचओ या तो खुद या किसी अन्य पुलिस अधिकारी के माध्यम से याचिकाकर्ता नंबर 1 के मेडिकल की व्यवस्था करेंगे। वह यह भी सुनिश्चित करेंगे कि

याचिकाकर्ता नंबर 1 (sic. ' मेडिकल ') याचिकाकर्ता नंबर 1 का सुरक्षित रूप से संचालन किया जाता है। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि याचिकाकर्ता नंबर 1 को सुरक्षित रूप से नारी तक पहुंचाया जाए। निकेतन में महिला कांस्टेबल के साथ नारी के अधिकारी भी मौजूद थे निकेतन , सेक्टर 26, चंडीगढ़ ।

' हाय सुनवाई की अगली तारीख पर पक्षों को फिर से अदालत में उपस्थित होना होगा । 15.3.2011.

इस बीच, याचिकाकर्ता नंबर 2 को किसी भी तरह से गिरफ्तार या नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन कैंट , फिरोजपुर में दर्ज एफआईआर नंबर 25 दिनांक 28.2.2011 दर्ज की गई है।

इस आदेश की एक प्रति इस न्यायालय से जुड़े रीडर के हस्ताक्षर के तहत दस्ती को दी जाएगी ।

15.3.2011 को फिर से, इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया है:

"दिनांक 4.3.2011 के आदेश के अनुसरण में, पक्षकार मैं कोर्ट में उपस्थित हूं.

उत्तरदाताओं संख्या 4 और 5 के विद्वान वकील ने उत्तर दाखिल करने के लिए समय की प्रार्थना की।

सुनवाई की अगली तारीख से पहले जवाब दाखिल किया जाए और इसकी एक प्रति विपक्षी वकील को पहले से दी जाए।

'तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता नंबर 1 को नारी के अधीक्षक /वार्डन की हिरासत में रखा जाएगा। निकेतन .

18.4.2011 तक स्थगित।

जारी रखने का अंतरिम आदेश.

इस आदेश की प्रति टीएचसी के अधिकारी को दी जाए नारी इस न्यायालय से जुड़े रीडर के हस्ताक्षर के तहत निकेतन ।"

18.4.2011 को, इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया है:

"दिनांक 15.3.2011 के आदेश के अनुसरण में, पक्षकार न्यायालय में उपस्थित हैं।

8.7.2011 को बहस के लिए आएं ।

इस बीच, याचिकाकर्ता संख्या 1 - समिता शन्ना नारी के अधीक्षक / वार्डन की हिरासत में बनी रहेगी निकेतन .

इस आदेश की प्रति एचसी के अधिकारियों को दी जाए नारी रीडर के हस्ताक्षरों के तहत निकेतन इस अदालत से जुड़ा हुआ है।"

पारस शन्ना को 26.4.2011 को एसआई मलूक सिंह द्वारा गिरफ्तार किया गया और 27.4.2011 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। आरोपी पारस शन्ना ने सीआरएल होने के नाते जमानत याचिका दायर की है । मिसे . इस न्यायालय के समक्ष 2011 की संख्या 15240, जिसे इस न्यायालय ने दिनांक 18.5.2011 के आदेश के माध्यम से निपटाया था, जो इस प्रकार है:

"यह आसानी से नियमित जमानत की मांग करने वाली एक याचिका है , एफआईआर नंबर 25, दिनांक 28.2.2011, भारतीय दंड संहिता की धारा 363/366 के तहत, पुलिस

स्टेशन कैंट में दर्ज की गई है। फ़िरोज़पुर , जिला फ़िरोज़पुर।

प्रस्ताव की सूचना. पूछे जाने पर, पंजाब के विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री केडी सचदेवा , प्रतिवादी-राज्य की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील और साथ ही विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता, पंजाब की सहमति से, वर्तमान याचिकाकर्ता का प्रवेश चरण में निपटारा किया जा रहा है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि याचिकाकर्ता और समिता शन्ना द्वारा इस न्यायालय के समक्ष एक संयुक्त याचिका दायर की गई थी। मिसे . 2011 की संख्या एम-6835 स्कैकिंग सुरक्षा। सीआरएल में . मिसे . संख्या एम-6835 ऑफ़ 2011, इस न्यायालय के आदेश दिनांक 4.3.2011 (अनुलग्नक पी/3) में पाया गया है कि याचिकाकर्ता संख्या 1, आईसी । , अभियोजन पक्ष अपने वकील के साथ अदालत में मौजूद है। इस न्यायालय ने आगे देखा कि याचिकाकर्ता नंबर 1 अपने माता-पिता के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसे डर है कि वे उसकी शादी किसी और से कर सकते हैं। इस न्यायालय ने दिनांक 4.3.2011 के आदेश के तहत निर्देश दिया है कि इस बीच आरोपी याचिकाकर्ता (उस याचिका में याचिकाकर्ता संख्या 2) को आसानी से एफआईआर संख्या 25 दिनांक 28.2.2011 में गिरफ्तार या प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को पुलिस ने 26.4.2011 को यह कहते हुए गिरफ्तार कर लिया था कि 4.3.2011 को दिया गया स्थगन आदेश 15.3.2011 के बाद कभी नहीं बढ़ाया गया था, इसलिए, पुलिस याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करने के लिए स्वतंत्र है।

मैंने दिनांक 4.3.2011 के आदेश, साथ ही सीआरएल में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.3.2011 का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। मिसे . 201'1 का क्रमांक एम-6835।

दिनांक 4.3.2011 के आदेश में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि अगली सूचीबद्धता तिथि तक अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया था , बल्कि आदेश से पता चलता है कि इस बीच, याचिकाकर्ता को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। बेशक, इस न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश कभी भी रद्द नहीं किया गया। प्रथमदृष्टया, याचिकाकर्ता द्वारा इस न्यायालय के दिनांक 4.3.2011 के आदेश द्वारा प्रदत्त अंतरिम संरक्षण का घोर उल्लंघन किया गया है।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए , वर्तमान

याचिका स्वीकार की जाती है । आइए, याचिकाकर्ता को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिरोजपुर की संतुष्टि के लिए जमानत पर रिहा किया जाए । पंजाब के विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री केडी सचदेवा ने आश्वासन दिया है कि वह पंजाब के पुलिस महानिदेशक को गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के खिलाफ उचित कानूनी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश करेंगे, जिसने याचिकाकर्ता को अंतरिम संरक्षण के घोर उल्लंघन में गिरफ्तार किया है। ' यह न्यायालय श्री सचदेव पर विश्वास करता है और उन पर भरोसा करता है ।

आदेश की प्रति गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए पंजाब के पुलिस महानिदेशक को भेज दी जाए और वह आज से एक महीने के भीतर इस अदालत को अपनी रिपोर्ट सौंप दें।"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फ़िरोज़पुर ने दिनांक 18.5.2011 के आदेश के अनुपालन में एक जांच की और पाया कि इस न्यायालय ने 18.4.2011 को सी.आर.एल. मिसे . 2011 के क्रमांक एम-683 5 ने आरोपी को 4.3.2011 को दी गई अंतरिम सुरक्षा को आगे की अवधि के लिए नहीं बढ़ाया। इसलिए एसआई मलूक सिंह द्वारा आरोपी पारस शन्ना की गिरफ्तारी को इस न्यायालय के आदेश दिनांक 4.3.2011 का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा यह भी पाया गया कि आदेश दिनांक 4.3.2011 , 15.3.2011

और 18.4.2011 को इस न्यायालय द्वारा सी.आर.एल. में पारित किया गया । मिसे . 2011 के नंबर एम-6835 को भी श्री एमएस रंधावा , अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फिरोजपुर के समक्ष पेश किया गया था । नतीजतन, आरोपी पारस शन्ना की जमानत अर्जी उन आदेशों को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दी गई। इसलिए एसआई मलूक सिंह ने इस न्यायालय के किसी भी आदेश का उल्लंघन नहीं किया है।

अब, इस अदालत के सामने एकमात्र सवाल यह है कि क्या एसआई मलूक सिंह ने 26.4.2011 को आरोपी को गिरफ्तार करके इस अदालत के 4.3.2011 के आदेश का उल्लंघन किया है, जिससे अदालत की कोई अवमानना हुई है?

सीआरएल में पारित आदेश दिनांक 4.3.2011 का प्रासंगिक भाग । मिसे . 2011 का नंबर एम-6835 इस प्रकार पढ़ता है:

> "इस बीच, याचिकाकर्ता नंबर 2 को किसी भी तरह से गिरफ्तार या प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा, पुलिस स्टेशन कैंट में दर्ज केआईआर नंबर 25 दिनांक 28.2.2011 के तहत । फ़िरोज़पुर ने उसके ख़िलाफ़ मामला दर्ज कर लिया है।"

इस न्यायालय की राय में, यदि न्यायालय इस बीच यह कहते हुए अंतरिम आदेश देते हैं, तो यह तब तक लागू रहेगा जब तक कि इसे खाली नहीं किया जाता या संशोधित नहीं किया जाता। 4.3.2011 को, इस न्यायालय ने लिस्टिंग की अगली तारीख तक अंतरिम सुरक्षा नहीं दी है, हालांकि, 15.3.2011 को, फिर से इस न्यायालय ने यह नहीं देखा कि अंतरिम आदेश सुनवाई की अगली तारीख तक बढ़ाया गया है। एकमात्र ऑपरेटिव भाग "जारी रखने का अंतरिम आदेश" है। 18.4.2011 को, इस न्यायालय ने 4.3.2011 के आदेश को कभी रद्द नहीं किया था। चूँकि आदेश पहले से ही अस्तित्व में था, इसलिए इस न्यायालय को प्रत्येक निर्धारित तिथि पर आदेश को बार-बार बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अंतरिम आदेश को केवल तभी विस्तार की आवश्यकता होती है जब अंतरिम निश्चित अवधि के लिए पारित हो जाता है, यानी, लिस्टिंग की अगली तारीख तक। *गोविंदा* की सहजता को बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले से समर्थन मिलता है *भागोजी कांताहले और अन्य* बनाम *सैंडट उपरोक्त निर्णय के* पैरा 12 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश , *बापू कांत ए हाई और अन्य (1) ने* निम्नानुसार टिप्पणी की है:

> " 12 . इस विवाद को देखते हुए, सवाल यह है कि क्या अपीलकर्ताओं को कब्ज़ा बहाल किया जाना चाहिए। इस प्रश्न पर विचार करने से पहले मुख्य बात पर विचार करना आवश्यक है*(राजेश बिंदल , जे.)*
>
> विवाद यह है कि क्या इस न्यायालय द्वारा दिया गया स्थगन केवल वापसी योग्य तिथि यानी 9 दिसंबर, 2002 तक ही लागू था, या इसे सिविल आवेदन के निपटान

तक या अगले आदेश तक जारी रखा जाना था। आदेश के पहले भाग में दर्ज है कि उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किया गया है और 9 दिसंबर 2002 को नोटिस की वापसी योग्य तिथि के रूप में तय किया गया है। आदेश को स्पष्ट रूप से पढ़ने से, यह बहुत स्पष्ट है कि विज्ञापन-अंतरिम रोक का आदेश किसी विशेष तारीख तक सीमित नहीं था, आदेश का पहला भाग उत्तरदाताओं को नोटिस जारी करने का निर्देश देता है और इसे वापस करने का आदेश दिया जाता है। partiulardatc.lt में आगे कहा गया है कि इस बीच विज्ञापन-अंतरिम एकपक्षीय राहत दी गई है। आदेश से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस न्यायालय का इरादा नोटिस जारी करना और इस बीच स्टे देना था। स्टे देने के आदेश में "इस बीच" वाक्यांश का उपयोग किया जाता है। इस बीच शब्द का शब्दकोश अर्थ है "किसी विशेष घटना के घटित होने तक" या "जब तक कुछ अपेक्षित घटित नहीं होता"। जब इस बीच रोक लागू होनी थी, तो यह किसी विशेष घटना के घटित होने तक लागू होनी थी। उक्त घटना उत्तरदाताओं को नोटिस की सेवा के बाद आवेदन की सुनवाई थी। जब भी यह न्यायालय किसी विशेष तिथि तक सीमित अंतरिम राहत देने का इरादा रखता है, तो आदेश में हमेशा यह उल्लेख किया जाता है कि विज्ञापन-अंतरिम राहत एक विशेष तिथि तक लागू रहेगी। जब इस न्यायालय ने नोटिस जारी किया और इस बीच अंतरिम राहत दी, तो स्पष्ट रूप से यह इरादा था कि विज्ञापन-अंतरिम राहत नोटिस की सेवा के बाद इस न्यायालय द्वारा आवेदन पर सुनवाई होने तक प्रभावी रहेगी। जब यह न्यायालय नोटिस को किसी विशेष तारीख पर वापस करने योग्य बनाता है, तो यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि नोटिस में उल्लिखित तारीख वह तारीख है जिस दिन आवेदन पर सकारात्मक सुनवाई होगी। आदेश में उल्लिखित वापसी योग्य तिथि नोटिस के लिए निर्धारित वापसी योग्य तिथि है। यह पार्टियों की उपस्थिति के लिए निर्धारित तिथि है। यह आवश्यक नहीं है कि इस न्यायालय द्वारा निर्धारित वापसी योग्य तिथि पर मामला बोर्ड में उपस्थित हो। जब इस न्यायालय ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया और "इस बीच" अंतरिम राहत दी, तो यह स्पष्ट है कि अंतरिम राहत तब तक जारी रहेगी जब तक कि न्यायालय जारी किए गए नोटिस के आधार पर पक्षों को नहीं सुनता या जब तक स्थगन आदेश विशेष रूप से रद्द नहीं हो जाता। इस न्यायालय द्वारा. जब भी, न्यायालय का इरादा हो

कि विज्ञापन-अंतरिम राहत वापसी योग्य तिथि तक लागू रहेगी, आदेश में यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि विज्ञापन-अंतरिम राहत एक विशिष्ट तिथि तक या नोटिस की वापसी योग्य तिथि तक लागू रहेगी। जब प्रतिस्पर्धी पक्ष को नोटिस जारी करने के बाद "इस बीच" विज्ञापन-अंतरिम राहत दी जाती है, तो आवेदन की सुनवाई की स्थिति तक राहत जारी रहती है, ' एफसीसी आदेश का अर्थ यह नहीं पढ़ा जा सकता है कि अंतरिम राहत केवल तब तक लागू रहती है जब तक

मरने की सूचना की वापसी योग्य तारीख।"

इस प्रकार, मैं प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि एसआई मलूक सिंह ने आरोपी पारस शन्ना को गिरफ्तार करके न्यायालय की अवमानना की है , जो कि इस न्यायालय द्वारा पारस शन्ना को दी गई अंतरिम सुरक्षा का पूर्ण उल्लंघन है।

इस मामले को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एच.बी. 1 सी. से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात न्यायिक पक्ष पर उचित निर्देश हेतु अवमानना की सुनवाई कर रही पीठ के समक्ष रखा जाए।

(3) दिनांक 7.3.2012 को प्रतिवादी-अवमाननाकर्ता द्वारा दाखिल जवाब पर विचार करने के पश्चात, इस न्यायालय ने प्रतिवादी के विरुद्ध आरोप तय करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किया। जिसका उद्धरण नीचे दिया गया है:

"(1). 2011 के सीआरएम-एम-6835 में, इस न्यायालय के आदेश दिनांक 04.03.2011 में निर्देश दिया गया कि याचिकाकर्ता संख्या 1 (समिता शन्ना) को नारी तक सुरक्षित पहुंचाया जाए। निकेतन , सेक्टर 26, चंडीगढ़ एक और निर्देश के साथ कि "इस बीच, पुलिस स्टेशन *कैंट में दर्ज एफआईआर नंबर 25 दिनांक 28.2.2011 के मामले में याचिकाकर्ता नंबर 2 को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा या किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा । उसके खिलाफ मामला दर्ज फिरोजपुर* . "15.03.2011 को, मामले को इस निर्देश के साथ 18.04.2011 तक के लिए स्थगित कर दिया गया कि *"अंतरिम आदेश जारी रखा जाए"।* याचिकाकर्ता नंबर 2 की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाले उपरोक्त अंतरिम आदेश को इस न्यायालय द्वारा किसी भी बाद की तारीख में कभी भी रद्द या संशोधित नहीं किया गया था। दूसरे याचिकाकर्ता को 26.4.2011 को एसआई मलूक सिंह द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, जिससे ये मामले सामने आए। *मोटू* अवमानना कार्यवाही.

(2) . एसआई मलूक सिंह ने अपने rcply / alTidavit दिनांक 02.11.2011 के पैरा 3 में निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिया है:-

"3. दिनांक 18.4.201 को न्यायालय में उपस्थित होने के बाद एसआई मलूक सिंह ने उत्तर का मसौदा महाधिवक्ता, पंजाब के कार्यलय में जांच हेतु प्रस्तुत किया। उक्त उत्तर को श्रीमती नीलम को जांच के लिए चिह्नित किया गया था हीरारा , आईडी. एएजी पंजाब। उन्होंने पुनरीक्षण नोटिंग शीट के साथ-साथ ड्राफ्ट उत्तर पर भी अपनी टिप्पणियाँ दीं कि "रीड्राफ्ट उत्तर।" यह स्पष्ट करें कि जांच की स्थिति क्या है क्योंकि अंतरिम आदेश 18.4.2011 को समाप्त हो गया है और मामला बहस के लिए तय किया गया है। "

(3) मलूक सिंह द्वारा पंजाब के महाधिवक्ता कार्यालय में कार्यरत एक विधि अधिकारी श्री एमसी बेरी पर लगाए गए आक्षेप के मद्देनजर , विद्वान जोड़ा गया)। एजी पंजाब को तथ्यों

को सत्यापित करने और इस न्यायालय की सहायता करने के लिए कहा गया था।

(4) श्री बेरी, अभिलेखों के सत्यापन पर, ठीक ही बताते हैं कि श्रीमती नीलम बिरारा , सहायक महाधिवक्ता, पंजाब न तो बहस कर रहे थे/सहायक वकील थे और न ही अदालत में उपस्थित थे जब 2011 के सीआरएम-एम-6835 को 18.4.2011 को सुनवाई के लिए लिया गया था। उन्हें उत्तर आदि की जांच करने का कर्तव्य सौंपा गया था। एसआई मलूक सिंह स्वयं 18.4.2011 को अदालत में उपस्थित हुए और उसके बाद उत्तर की जांच कराने के लिए महाधिवक्ता कार्यालय गए। यह एसआई मलूक सिंह ही थे जिन्होंने विद्वान कानून अधिकारी (श्रीमती नीलम) को सूचित किया बिरारा) कि इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता संख्या 2 को पहले दिए गए अंतरिम संरक्षण के आदेश को रद्द कर दिया था और मामले को अंतिम बहस के लिए स्थगित कर दिया गया था।

(श्री बेरी द्वारा दिया गया तथ्यात्मक स्पष्टीकरण इस स्पष्ट कारण से स्वीकार किया जाना चाहिए कि श्रीमती नीलम बिरारा , सहायक महाधिवक्ता, पंजाब, 18.4.2011 को इस मामले में अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाली विधि अधिकारी नहीं थीं और न्यायालय के आदेश की प्रति के अभाव में, उनके पास स्पष्ट रूप से यह कहने का कोई कारण या ज्ञान नहीं था कि अंतरिम संरक्षण का आदेश निरस्त कर दिया गया है। चूंकि यह एसआई मलूक सिंह ही थे जिन्होंने विधि अधिकारी के समक्ष जांच के लिए जवाब प्रस्तुत किया था, इसलिए 'अंतरिम संरक्षण निरस्त करने' के बारे में तथाकथित जानकारी किसी और को नहीं बल्कि एसआई मलूक सिंह को ही दी गई थी।

(6) मलूक सिंह द्वारा अपने उत्तर/शपथ पत्र के पैरा 3 में दी गई दलील पूरी तरह से झूठी, मनगढ़ंत और भ्रामक है और खारिज किए जाने योग्य है।

(7) रिकॉर्ड से पता चलता है कि तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फ़िरोज़पुर ने इस न्यायालय के सहायक रजिस्ट्रार (सीआरएल) को दिनांक 17.6.2011 को एक स्पष्टीकरण/रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें जांच अधिकारी एसआई मलूक सिंह का दो मामलों में बचाव किया गया था, अर्थात् (i) अंतरिम आदेश दिनांक 4.3.2011 को इस अदालत द्वारा 18.4.2011 को स्पष्ट रूप से विस्तारित नहीं किया गया था जब मामले को 8.7.2011 तक स्थगित कर दिया गया था, इसलिए यह रद्द हो गया; (ii) एसआई मलूक सिंह ने श्रीमती नीलम द्वारा दी गई टिप्पणी पर कार्रवाई की बिरारा , विद्वान सहायक महाधिवक्ता, पंजाब।

(8) इससे पहले भी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फ़िरोज़पुर ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अपराध), पंजाब, चंडीगढ़ को दिनांक 10.6.2011 को एक और रिपोर्ट भेजी थी, जिसकी

एक प्रति भी मुख्य मामले के साथ रिकॉर्ड पर रखी गई है, जिसमें उन्होंने एसआई मलूक सिंह ने एक अतिरिक्त दलील देते हुए बचाव किया कि श्री केडी सचदेवा , विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता, पंजाब ने उच्च न्यायालय को गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के खिलाफ अपने दम पर और बिना किसी अधिकार के उचित कानूनी अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए पुलिस महानिदेशक को सिफारिश करने का आश्वासन दिया। '

(9) फ़िरोज़पुर द्वारा की गई तीनों दलीलें प्रथम दृष्टया झूठी और रिकॉर्ड के विपरीत हैं।

(10) यह सर्वविदित है कि एक बार पारित किया गया अंतरिम आदेश तब तक प्रभावी रहता है जब तक कि उसे स्पष्ट रूप से रद्द न कर दिया जाए। उक्त एसएसपी ने गलत निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जिला अटॉर्नी या पंजाब के महाधिवक्ता के कार्यालय से कानूनी सलाह लेना उचित नहीं समझा। उनकी उपरोक्त रिपोर्टें जाहिर तौर पर एसआई मलूक सिंह के आदेश पर हैं। उन्होंने श्री केडी सचदेवा के खिलाफ गैरजिम्मेदाराना टिप्पणी करते हुए एक अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद, स्थिति और प्रोटोकॉल की घोर उपेक्षा की है । उनके पत्रों का लहजा और भाव एक वरिष्ठ कानून अधिकारी के अपमान की हद तक है, जिसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

(11) अदालत में मौजूद एसआई मलूक सिंह ने कहा कि कौस्तभ शर्मा, आईपीएस, फिरोजपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में उपर्युक्त संचार के लेखक हैं ।

(राजेश बिंदल , जे.)

(12) उक्त कौस्तभ शर्मा, आईपीएस को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए कि उनके खिलाफ न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत अदालत की अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। चूंकि उसकी तैनाती का स्थान ज्ञात नहीं है, इसलिए उसे पंजाब के पुलिस महानिदेशक के माध्यम से तामील कराया जाए, जो यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त अवमाननाकर्ता को नोटिस विधिवत तामील कराया जाए।

(13) उन्हें कोर्ट में भी उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है.

(14) मलूक सिंह के खिलाफ निम्नलिखित विशिष्ट आरोप तय किए गए हैं : -

(1) एसआई मलूक सिंह ने आईपीसी की धारा 363, 3661 के तहत एफआईआर संख्या 25 दिनांक 28 फरवरी, 2011 के मामले में जांच अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए जानबूझकर और जानबूझकर इस न्यायालय द्वारा सीआरएम-एम-6835 ऑफ 2011 में पारित आदेश दिनांक 4.3.2011 का उल्लंघन किया और याचिकाकर्ता

को गिरफ्तार कर लिया। नंबर 2 (पारस शर्मा) को गिरफ्तारी के खिलाफ दी गई अंतरिम सुरक्षा का खुलेआम उल्लंघन किया गया;

(2) निजी प्रतिवादियों की मिलीभगत से या उसके बिना, न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने की पूर्व-निर्धारित साजिश के साथ, एसआई मलूक सिंह श्रीमती नीलम के सामने पेश हुए। बिरारा , सहायक महाधिवक्ता , पंजाब ने ड्राफ्ट उत्तर को भूलकर विधि अधिकारी को गलत सूचना दी कि अंतरिम आदेश दिनांक 5.3.2011 को रद्द कर दिया गया है।

(3) *वास्तविक गलती* की झूठी दलील देने के उद्देश्य से , एसआई मलूक सिंह ने दिनांक 2.11.2011 को एक पूरी तरह से गलत और भ्रामक हलफनामा दायर किया है ताकि यह आभास दिया जा सके कि उन्होंने सहायक वकील द्वारा की गई लिखित 'टिप्पणियों'/'टिप्पणियों' पर कार्रवाई की है। 18.4.2011 को ड्राफ्ट उत्तर पर जनरल, पंजाब।

(15) 16.4.2012 को अगली सुनवाई के लिए पुनः सूचित करें।

(16) 'विशिष्ट आरोपों के जवाब में अतिरिक्त हलफनामा, यदि कोई हो, श्री एम.सी. बेरी, विद्वान अतिरिक्त ए.जी. पंजाब को अग्रिम प्रति के साथ दायर किया जाए, जो मामले में न्यायालय की सहायता करना जारी रखेंगे।

(17) एक दस्ती प्रति श्री एम.सी. बेरी, अर्जित अतिरिक्त ए.जी. पंजाब को सूचनार्थ एवं आवश्यक अनुपालनार्थ सौंपी जाए।

4. मलूक सिंह के अलावा , तत्कालीन पुलिस अधीक्षक कौस्तभ शर्मा आईपीएस को भी कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया गया था कि क्यों न अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए। हालाँकि, अदालत में दी गई उनकी बिना शर्त माफी को स्वीकार करते हुए और पंजाब के महाधिवक्ता के कार्यालय के कारण हुई खामियों के आरोप को वापस लेते हुए, उनके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही दिनांक 28.5.2012 के आदेश के तहत हटा दी गई थी। अवमाननाकर्ता -एसआई मलूक सिंह के खिलाफ आरोप तय होने के बाद , उन्होंने 7.9.2012 को अपना हलफनामा दाखिल किया और बिना शर्त माफी मांगते हुए कहा कि अवज्ञा जानबूझकर नहीं की गई थी और आगे कहा कि उनके पास 34 साल की बेदाग सेवा है और वह अगले छह साल के भीतर सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। महीने. दया की याचना की गई है.

5. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय टी. एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम अशोक खोत और अन्य, (2006) 5 एससीसी 1, इसके द्वारा पारित आदेश की अवहेलना से संबंधित एक सहजता से

निपटते समय , निम्नानुसार देखा गया:

> "'राजा किसी मनुष्य के अधीन नहीं है, बल्कि ईश्वर और कानून के अधीन है" - इंग्लैंड के मुख्य न्यायाधीश, सर एडवर्ड कोक का उत्तर था जब जेम्स-I ने एक बार घोषणा की थी, "तब मुझे कानून के अधीन रहना होगा। इसकी पुष्टि करना देशद्रोह है" - ऐसा मैंने हेनरी ब्रैक्टन ने लिखा जो किंग्स बेंच का न्यायाधीश था।
>
> 2. लैटिन में अपने ग्रंथ "क्वॉड रेक्स नॉन" में ब्रैक्टन के शब्द बहस एसे सब होमिन , सेड सब डीओ एट लेगे ('राजा को मनुष्य के अधीन नहीं, बल्कि भगवान और कानून के अधीन होना चाहिए) को बार-बार उद्धृत किया गया जब स्टुअर्ट किंग्स ने दैवीय अधिकार से शासन करने का दावा किया। हम दहलीज पर भी सर ईदवर्ड कोक के उन शब्दों को उद्धृत और दोहराना चाहेंगे ।
>
> 3. संविधान के तहत हमारी लोकतांत्रिक राजनीति में ' कानून के शासन ' की अवधारणा पर आधारित है, जिसे हमने अपनाया और खुद को दिया है और जो हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली की संरचना में एक महाधमनी के रूप में कार्य करता है । कानून सर्वोच्च है।
>
> 4. प्रत्येक व्यक्ति चाहे व्यक्तिगत हो या सामूहिक, निर्विवाद रूप से कानून की सर्वोच्चता के अधीन है। चाहे वह कोई भी हो, चाहे कितना भी बड़ा हो , वह कानून के अधीन है। चाहे वह कितना भी ताकतवर और कितना भी अमीर क्यों न हो.
>
> 5. इस न्यायालय के आदेश की अवज्ञा कानून के शासन की मूल जड़ पर आघात करती है जिस पर न्यायिक प्रणाली टिकी हुई है। कानून का शासन एक लोकतांत्रिक समाज की नींव है। न्यायपालिका कानून के शासन की संरक्षक है। इसलिए, यह न केवल तीसरा स्तंभ है, बल्कि लोकतांत्रिक राज्य का केंद्रीय स्तंभ भी है। यदि न्यायपालिका को अपने कर्तव्यों और कार्यों को प्रभावी ढंग से करना है और उस भावना के प्रति सच्चा रहना है जिसके साथ उसे पवित्र रूप से सौंपा गया है, तो न्यायालयों की गरिमा और अधिकार का हर कीमत पर सम्मान और संरक्षण करना होगा। अन्यथा, हमारी संवैधानिक योजना की आधारशिला ही बेकार हो जाएगी और इसके साथ ही समाज में कानून का शासन और सभ्य जीवन गायब हो जाएगा। इसलिए यह अनिवार्य और अपरिहार्य है कि न्यायालय के आदेशों का पालन और अनुपालन किया जाए।"

(7) वर्तमान मामले के तथ्यों में, इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश का उल्लंघन है, जिसके तहत पारस शर्मा की गिरफ्तारी पर दिनांक 4.3.2011 के आदेश द्वारा रोक लगा दी गई थी, जिसे 15.3.2011 को जारी रखने का निर्देश दिया गया था, यह प्रतिवादी के रूप में बड़ा है - अवमाननाकर्ता ने पारस शर्मा को 26.4.2011 को गिरफ्तार कर लिया। पारस शर्मा की गिरफ्तारी को उचित ठहराते हुए, प्रतिवादी- अवमाननाकर्ता द्वारा यह रुख अपनाने की मांग की गई कि 18.4.2011

को अदालत की सुनवाई में भाग लेने के बाद, जब उन्होंने महाधिवक्ता के कार्यालय में पुनरीक्षण के लिए मसौदा उत्तर प्रस्तुत किया, तो उसे चिह्नित किया गया था श्रीमती नीलम की जांच के लिए बिरारा , विद्वान सहायक महाधिवक्ता, पंजाब, जिस पर उन्होंने टिप्पणी दी थी "पुनः प्रारूपित उत्तर। यह स्पष्ट करें कि जांच की स्थिति क्या है क्योंकि अंतरिम आदेश 18.4.2011 को समाप्त हो गया है और मामला बहस के लिए तय किया गया है।"

(8) पारस शर्मा की गिरफ्तारी को उचित ठहराने के लिए प्रतिवादी-अवमाननाकर्ता द्वारा उठाई गई उपरोक्त याचिका को इस अदालत ने दिनांक 7.3.2012 के आदेश के तहत पहले ही खारिज कर दिया है, जब उसके खिलाफ आरोप तय किए गए थे, जैसा कि पैराग्राफ संख्या (3) से (6) में देखा गया है। वह आदेश ऊपर पुन: प्रस्तुत किया गया है।

(9) इसके अलावा, प्रतिवादी-अवमाननाकर्ता द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अवलोकन से पता चलता है कि उसने जानबूझकर इस अदालत द्वारा पारित आदेश की अवहेलना की थी; इस न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन के बावजूद एक नागरिक को गिरफ्तार करते समय उसकी स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ किया गया और फिर विधि अधिकारी की ओर से लापरवाही का आरोप लगाकर इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। 'इससे प्रतिवादी-अवमाननाकर्ता द्वारा किया गया अपराध जटिल हो गया है। प्रतिवादी अवमाननाकर्ता द्वारा यह दलील दी गई कि उसकी लंबी उम्र को देखते हुए उसके प्रति उदारता दिखाई जाए

बेदाग सेवा को इस कारण से स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि पहले की सेवा किसी को उसके करियर के अंतिम छोर पर गलत काम करने की अनुमति देने का प्रमाण पत्र नहीं है। किसी कर्मचारी की प्रत्येक गतिविधि का व्यक्तिगत रूप से परीक्षण किया जाना चाहिए। हालाँकि, पिछले आचरण के परिणामस्वरूप उसे कड़ी सजा मिल सकती है, लेकिन किए गए अपराध से छूट नहीं मिलेगी। बल्कि, तथ्य यह है कि प्रतिवादी-अवमाननाकर्ता के पास 34 साल की सेवा थी और अपने सेवा करियर में, उसने सैकड़ों मामलों को निपटाया होगा और फिर भी इस अदालत द्वारा पारित आदेश का उल्लंघन किया होगा, यह दर्शाता है कि कार्रवाई जानबूझकर की गई थी। मुझे , विशेष रूप से कानून प्रवर्तन एजेंसी का हिस्सा होने के नाते, अज्ञानता का दावा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। एक निर्दोष व्यक्ति की गिरफ्तारी निश्चित रूप से उसके करियर पर एक धब्बा है।' 26.4.2011 को उनकी गिरफ्तारी के बाद 18.5.2011 को इस अदालत द्वारा उन्हें जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिए जाने तक 11 सी को जेल में रहना पड़ा।

(10) कानून का यह स्थापित सिद्धांत है कि अवमानना मुख्य रूप से न्यायालय और अवमाननाकर्ता के बीच का मामला है। न्यायालय को अवमाननाकर्ता के व्यवहार , संबंधित परिस्थितियों और न्याय वितरण प्रणाली पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखना होगा। यदि अवमाननाकर्ता का आचरण ऐसा है कि यह न्याय वितरण प्रणाली को बाधित करता है और साथ ही न्यायालयों की गरिमा को कम करता है, तो न्यायालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे आगे संस्थागत

क्षति को रोकने और न्याय में जनता के विश्वास की रक्षा के लिए कुछ कठोर दृष्टिकोण अपनाएं। वितरण प्रणाली। जहां आचरण निंदनीय है और निंदा की आवश्यकता है, तो न्यायालय को अनिवार्य रूप से ऐसी अवमानना कार्यवाही को उसके तार्किक अंत तक ले जाना चाहिए। न्याय प्रणाली की संस्था को चोट पहुँचाने की कीमत पर न्यायालय द्वारा दया नहीं दिखाई जा सकती ।

(11) वर्तमान मामले में, प्रतिवादी-अवमाननाकर्ता ने अपने जवाबी हलफनामे में, उसे जारी किए गए कारण बताओ नोटिस में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर विवाद नहीं किया है। उन्होंने केवल अपने कृत्यों और चूकों के लिए बिना शर्त माफी मांगने का प्रयास किया है जो निश्चित रूप से न्याय प्रशासन के लिए प्रतिकूल थे और पारस शर्मा के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। वर्तमान मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स की जांच और प्रतिवादी-अवमाननाकर्ता के आचरण , विशेष रूप से उसके द्वारा दायर उत्तर, यह अस्पष्टता से परे रखता है कि प्रतिवादी-अवमाननाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप, अर्थात् उल्लंघन में पारस शन्ना की गिरफ्तारी उसे दी गई अंतरिम सुरक्षा साबित हो गई है। अवमाननाकर्ता का स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप से स्वीकार्य नहीं है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर जो एकमात्र निष्कर्ष निकाला जा सकता है वह यह है कि अवमाननाकर्ता ने जानबूझकर इस अदालत द्वारा पारित आदेश का उल्लंघन किया है, इसलिए, वह इस अदालत की अवमानना का दोषी है।

(12) जहां तक सज़ा का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि यह बिना शर्त माफ़ी स्वीकार करने का उचित मामला है। फिर भी उसकी उम्र को देखते हुए नरमी बरती गई है । यानी 15 दिन की साधारण कारावास की सजा भुगतने और 2,000 रुपये का जुर्माना अदा करने का निर्देश दिया जाता है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में प्रतिवादी-अवमाननाकर्ता को तीन दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

(13) हालाँकि, प्रतिवादी-अवमाननाकर्ता को दी गई सजा आज से 15 दिनों की अवधि के लिए निलंबित रहेगी ताकि वह अपील के इस उपाय का लाभ उठा सके, यदि वह चाहे तो। 15 दिनों की समाप्ति पर, यदि प्रतिवादी- अवमाननाकर्ता द्वारा दायर किसी भी अपील में इस अदालत द्वारा दी गई सजा का निलंबन नहीं बढ़ाया जाता है , तो वह सजा भुगतने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिरोजपुर के समक्ष खुद को पेश करेगा ।

(14) आदेश की एक प्रति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिरोजपुर को ई-मेल के माध्यम से भेजी जाए ।

(15) अवमानना याचिका का निपटारा किया जाता है।

एस. गुप्ता

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उदेश्य के लिए इसके उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उदेशयों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए उपयुक्त होगा।

सरू गोयल
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)पानीपत, हरियाणा